

❖ औषधीय एवं सुगंधित फसल क्षेत्र विस्तार योजना:

क्र	योजना	विवरण																																																							
1	उद्देश्य	❖ गुणवत्तायुक्त अधिक उपज देने वाली, अल्प अवधि वाली औषधीय एवं सुगंधित प्रजातियों का क्षेत्र विस्तार कर उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना।																																																							
2	कार्यक्षेत्र	❖ प्रदेश के संपूर्ण जिले।																																																							
3	चयनित फसलें	❖ बेल, सर्पगंधा, कालमेघ, सफेद मुसली, आंवला, अश्वगंधा, सतावर, तुलसी, कोलियस गुडमार एवं स्टीविया।																																																							
4	स्वरूप	<p>❖ योजना के तहत कृषक को स्वे च्छा। से क्षेत्र के अनुकूल औषधीय एवं सुगंधित फसल लगाने पर न्यूनतम 0.25 हेक्टेयर एवं अधिकतम 2.00 हेक्टेयर का लाभ देने का प्रावधान है।</p> <p>❖ योजना के अंतर्गत निर्धारित सीमा में औषधीय एवं सुगंधित फसलों की खेती पर अनुदान पात्रता अनुसार देय है।</p> <p>❖ यह योजना पूर्णसालसस्तेर आधारित होगी। :</p>																																																							
5	कृषक की पात्रता	❖ सभी वर्ग के कृषक।																																																							
6	अनुदान की पात्रता	<p>❖ हितग्राही कृषक को औषधीय एवं सुगंधित फसल उत्पादन पर निम्नातनुसार अनुदान देय है:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.</th> <th>फसल</th> <th>लागत मापदण्ड प्रति हे रूपये मे .</th> <th>अनुदान पात्रता प्रतिशत में</th> <th>अनुदान की राशि रूपये में</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>आंवला</td> <td>65000</td> <td>20</td> <td>13000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>अश्व गंधा</td> <td>25000</td> <td>20</td> <td>5000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>बेल</td> <td>40000</td> <td>50</td> <td>20000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>कोलियस</td> <td>43000</td> <td>20</td> <td>8600</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>गुडमार</td> <td>25000</td> <td>20</td> <td>5000</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>कालमेघ</td> <td>25000</td> <td>20</td> <td>5000</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>सफेद मुसली</td> <td>312500</td> <td>20</td> <td>62500</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>सर्पगंधा</td> <td>62500</td> <td>50</td> <td>31250</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>शतावर</td> <td>62500</td> <td>20</td> <td>12500</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>तुलसी</td> <td>30000</td> <td>20</td> <td>6000</td> </tr> </tbody> </table>	क्र.	फसल	लागत मापदण्ड प्रति हे रूपये मे .	अनुदान पात्रता प्रतिशत में	अनुदान की राशि रूपये में	1	आंवला	65000	20	13000	2	अश्व गंधा	25000	20	5000	3	बेल	40000	50	20000	4	कोलियस	43000	20	8600	5	गुडमार	25000	20	5000	6	कालमेघ	25000	20	5000	7	सफेद मुसली	312500	20	62500	8	सर्पगंधा	62500	50	31250	9	शतावर	62500	20	12500	10	तुलसी	30000	20	6000
क्र.	फसल	लागत मापदण्ड प्रति हे रूपये मे .	अनुदान पात्रता प्रतिशत में	अनुदान की राशि रूपये में																																																					
1	आंवला	65000	20	13000																																																					
2	अश्व गंधा	25000	20	5000																																																					
3	बेल	40000	50	20000																																																					
4	कोलियस	43000	20	8600																																																					
5	गुडमार	25000	20	5000																																																					
6	कालमेघ	25000	20	5000																																																					
7	सफेद मुसली	312500	20	62500																																																					
8	सर्पगंधा	62500	50	31250																																																					
9	शतावर	62500	20	12500																																																					
10	तुलसी	30000	20	6000																																																					

7	हितग्राही चयन की प्रक्रिया	<ul style="list-style-type: none"> ❖ कृषक को आधार नम्बर सहित ऑनलाईन आवेदन करना अनिवार्य है। ❖ योजना का क्रियान्वयन कृषक की निजी भूमि में किया जावेगा। ❖ हितग्राही के पास सिंचाई के पर्याप्त साधन उपलब्ध होना चाहिये। ❖ सामान्य, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के हितग्राहियों हेतु पृथक पृथक लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। ऑनलाईन-MPFSTS पोर्टल पर आवेदन कर सकते है। ❖ वनाधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त आदिवासियों को भी अनुदान की पात्रता होगी।
8	संपर्क	<ul style="list-style-type: none"> ❖ जिले के उप/सहायक संचालक उद्यान, विकासखण्ड स्तर पर व.उ.वि.अधि/ग्रा.उ.वि.अधि.
9	ऑनलाईन आवेदन	<ul style="list-style-type: none"> ❖ पात्र उम्मीरदवारऑनलाईन MPFSTS पोर्टल पर आवेदन कर सकते है।
10	आवेदन हेतु दस्ता वेज	<ul style="list-style-type: none"> ❖ फोटो, आधार, खसरा नंबर/B1/वन पट्टे की प्रति , बैंक पासबुक , जाति प्रमाण पत्र